

कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर बलिया में स्थित 01 अदद निगेटिव मे फोटो बनाने की दुकान को वित्तीय वर्ष 2026-27 में खुली बोली के आधार पर नीलाम किये जाने हेतु दिनांक 25।03।2026 एवं 08।04।2026 को नीलाम की कार्यवाही की गयी परन्तु नीलामी में नियत धनराशि काफी कम बोली आने के कारण उक्त दुकान की नीलाम की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी । शेष 08 दुकान की नीलाम की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । उक्त दुकान की दिनांक 01।5।26 से 31।3।27 तक की नीलामी हेतु पुनः 24।04।26 की तिथि नियत की जाती है । उक्त दुकान की 11 माह के लिये सरकारी धनराशि अंकन 426525/- रुपये (पूर्व नियत 12 माह की सरकारी धनराशि अंकन 465300/- रु० के औसत पर) नियत की गयी है । नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में मायं 4.00 बजे से खुली बोली के आधार पर की जायेगी । अतएव जिन महानुभाव को उक्त दुकान की नीलामी लेनी हो वह नियत दिनांक 24।04।2026 को केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय से उपस्थित आकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं ।

बोली लगाने की शर्तें

- 1 उपरोक्त वर्णित दुकान की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 मे दिनांक 01।5।26 से 31।3।27 तक के लिये की जानी है ।
- 2 प्रत्येक बोलीकर्ता को जमानत धनराशि के रूप में नियत सरकारी धनराशि का 1/4 भाग वतौर जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा ।
- 3 जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होगी नीलामी की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।
- 4 प्रत्येक बोली कर्ता अपने 2 बोली से बाध्य होगा । भले ही वह ऊँची या नीची हो । यह भली भाँति समझना चाहिए कि नीलामी की राशि की माफी पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकता है ।
- 5 प्रत्येक बोली कर्ता अपने अपने आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा मूल साथ लाना होगा ।
- 6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी बोली को विना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं तथा अपरिहार्य परिस्थिति में दुकान का स्थान बदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा ।
- 7 नीलाम प्राप्तकर्ता को नीलाम की धनराशि 4 बराबर किश्तों में पहली किश्त माह जून-2026, दूसरी किश्त माह अगस्त, तीसरी किश्त माह अक्टूबर तथा चौथी किश्त माह जनवरी 2027 में जमा करना होगा । कोई भी धनराशि वकाया रह जाने पर उसकी वसूली भू राजस्व के वकाये के रूप में की जायेगी ।

अध्यक्ष

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं० 1 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

- 1 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3 जिला पंचायत परिषद/नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4 लो०नि०वि० बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5 जिला जज बलिया के ववसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6 माननीय उच्च न्यायालय के ववसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 7 स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ।

अध्यक्ष

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं० 1 बलिया ।